

**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,**  
**“कर-भवन”, अजमेर**

क्रमांक: एफ-7(40)जन/11/

दिनांक:

उप महानिरीक्षक, पंजीयन  
एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक),  
वृत्त-जोधपुर

विषय : अधिसूचना क्रमांक प.2(107)वित्त/कर/2010-124  
दिनांक 24.2.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प. 2(107)वित्त/कर/2010-124 दिनांक 24.2.11 जारी कर जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड (JVVNL) द्वारा अपनी ऑथराइज्ड शेयर केपिटल 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1600 करोड़ करने पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के दस्तावेज पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल-11 के खण्ड (i) के अधीन देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया है।

अधिसूचना की छाया प्रति **संलग्न** कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

*Sd/-*  
अतिरिक्त महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(40)जन/11/ 5452

दिनांक: 14-3-11

प्रतिलिपि :

✓ एनलिस्ट कम प्रोगामर, मुख्यालय-अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

*Sd/-* 14/3/11  
अतिरिक्त महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर

~~241~~  
~~188~~  
240  
1/3/11

F7 (40) (11)

Puc III

राजस्थान सरकार  
वित्त कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर दिनांक 24.02.2011

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा आदेश देती है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVNL) द्वारा अपनी अर्थोराईज्ड शेयर कैपिटल 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपये करने पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के दस्तावेज पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 11 के खण्ड (i) के अधीन देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया जावेगा।

(प.2(107)वित्त/कर/2010-124)  
राज्यपाल की आज्ञा से,

(भवानी सिंह देथा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आज के असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव मा. मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदय, राजस्थान।
3. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निदेशक, (वित्त), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर।
7. रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑफिस ऑफ दी रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, राजस्थान 132, विजय नगर - II करतारपुरा रेल्वे कॉसिंग, जयपुर- 302006
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	
समाप्त प्राप्त क्रमांक	दिनांक
925	24/2/11
प्रकाशित तिथि	
महानिरीक्षण/	
आ.आर./सू.अ.	
28/2	
प्रमुख कार्यो. अधीक्षक	
महानिरीक्षक	

शासन सचिव